Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 106-2016/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JULY 14, 2016 (ASADHA 23, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 जुलाई, 2016

संख्या 2179–व–4–2016/13105.–हरियाणा के राज्यपाल 'नीलगाय' का नाम बदलकर 'रोझ' करने की घोषणा करते हैं। कथित पशु का नाम सरकारी नियमावली पुस्तकों/वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण विभाग के नियमों और सरकारी रिकॉर्ड में 'रोझ' के रूप में किया जाएगा।

भविष्य में सभी सरकारी पत्राचार, सरकारी पुस्तकों, नियमों और सरकारी रिकॉर्ड में 'नीलगाय' का नाम 'रोझ' अंकित किया जाएगा।

आर० आर० जोवल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FOREST AND WILDLIFE PRESERVATION DEPARTMENT

Notification

The 14th July, 2016

No. 2179-Ft-4-2016/ 13105.— The Governor of Haryana is pleased to change the nomenclature of 'Nilgai' to 'Rojh'. Said Animal hereinafter shall be renamed as 'Rojh' in the official Rules books of Forest and Wildlife Preservation Department and Government record.

In future, the name of 'Nilgai' shall be mentioned as 'Rojh' in all official correspondence, official books, Rule books and Government records.

R. R. JOWEL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Forests & Wildlife Preservation Department.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 जुलाई, 2016

संख्या 18/88/2016–3क1.– हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 24 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्रीमती रजनी पत्नी श्री इन्द्रजीत, सदस्य, वार्ड नं0 08, नगर परिषद, गोहाना, जिला–सोनीपत का नाम अधिसूचित करते हैं।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Order

The 14th July, 2016

No. 18/88/2016-3C1.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 24 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby notifies the name of Smt. Rajni W/o Sh. Inderjeet, Member, Ward No. 8, Gohana as President of Municipal Council, Gohana, District- Sonepat.

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 जुलाई, 2016

संख्या 18/89/2016–3क1.– हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 24 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा प्रधान के रूप में श्रीमती गुड्डी देवी, पार्षद, वार्ड नं0 11, नगरपालिका, उकलाना, जिला–हिसार का नाम अधिसूचित करते हैं।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Order

The 14th July, 2016

No.18/89/2016-3C1.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (2) of Section 24 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby notifies the name of Smt. Guddi Devi, Member, Ward No. 11, Uklana as President of Municipal Committee, Uklana, District- Hisar.

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 जुलाई, 2016

संख्या 1/101/2010–1 एच.सी.–चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल के विचार में आया है कि कतिपय स्थानों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए पूर्वोपय किये जाने समीचीन हैं;

इसलिए, अब भारत सरकार राजपत्र दिनांक 27 मई, 1967 में प्रकाशित, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, अधिसूचना संख्या का. आ. 1788, दिनांक 19 मई, 1967 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय

अधिनियम 19), की धारा 2 की उपधारा (8) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट स्थान को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

स्थान का नाम	परिक्षेत्र तथा अन्य विवरण
1	2
1. उप स्टेशन एस.वी–47, कुल क्षेत्रफल 1542 वर्ग मीटर "यह क्षेत्र मुंबई–मनमाड़– बिजवासन का स्वीकृत स्टेशन है। स्वीकृत वाल्व पैट्रोलियम उत्पादों को बाहर फैलने के कारण आपदा को सीमित करते हुए पाईप लाईनों में आपदा स्थितियों को रोकने के लिए उपलब्ध करवाए गये है " गांव अभयपुर, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा।	गांव अभयपुर, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा

राम निवास,
अपर मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ़।

दिनांक 24 जून, 2016.

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 14th July, 2016

No. 1/101/2010-1HC.— Whereas, the Governor of Haryana considers it expedient that precautions shall be taken to prevent the entry of unauthorized persons into certain places;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-clause (d) of clause (8) of Section 2 of Official Secrets Act, 1923(Central Act 19 of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No. S.O. 1788, dated the 19th May, 1967, published in the Government of India Gazette dated 27th May, 1967, the Governor of Haryana hereby declares the place specified in column 1 of the Schedule given below to be a prohibited place for the purposes of the said Act, namely:—

Schedule

Name of Place	Locality and other description
1	2
Sub Station SV-47, Total Area 1542 m2 "This area is sanctionalizing Station of Mumbai-Manmad-Bijwasan Pipeline. The sanctionalizing valves are provided for handling emergencies in the Pipeline by limiting the disaster due to spill out of Petroleum Product". Village Abhaypur, Tehsil Sohana, District Gurgaon, Haryana.	Village Abhaypur, Tehsil Sohana, District Gurgaon, Haryana

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

The 24th June, 2016.

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 जुलाई, 2016

संख्या 14/38/2007–3एच.सी.– हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007(2008 का 25) की धारा 11 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन आर्थिक अपराधों से सम्बन्धित मामलों के निपटान के लिए खाना संख्या 4 के नीचे वर्णित पुलिस जिलों के लिए खाना संख्या 3 के नीचे वर्णित इकाइयां पदनामित करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 का केन्द्रीय अधिनियम 2), ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पांबदी) अधिनियम, 1978 (1978 का केन्द्रीय अधिनियम 43) तथा हरियाणा वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2013 (2014 का हरियाणा अधिनियम 32) के अधीन अपराधों के लिए मुख्य अन्वेषण इकाईयों के रूप में कार्य करने हेतू आर्थिक अपराध कक्षों के रूप में खाना संख्या 2 के नीचे निम्नलिखित विशेष कक्ष सृजित करते हैं :–

क्रम संख्या	कक्ष का नाम	इकाई का नाम	पुलिस जिला
1	2	3	4
1	आर्थिक अपराध कक्ष, अम्बाला	राज्य अपराध शाखा, अम्बाला	अम्बाला, यमुनानगर
2	आर्थिक अपराध कक्ष, भिवानी	राज्य अपराध शाखा, भिवानी	भिवानी, महेन्द्रगढ़
3	आर्थिक अपराध कक्ष, फरीदाबाद	राज्य अपराध शाखा, फरीदाबाद	फरीदाबाद, पलवल
4	आर्थिक अपराध कक्ष, गुड़गांव	राज्य अपराध शाखा, गुड़गांव	गुड़गांव, रेवाड़ी, मेवात
5	आर्थिक अपराध कक्ष, हिसार	राज्य अपराध शाखा, हिसार	हिसार, सिरसा, फतेहाबाद
6	आर्थिक अपराध कक्ष, जींद	राज्य अपराध शाखा, जींद	जींद, कैथल
7	आर्थिक अपराध कक्ष, करनाल	राज्य अपराध शाखा, करनाल	करनाल, पानीपत, सोनीपत
8	आर्थिक अपराध कक्ष, कुरुक्षेत्र	राज्य अपराध शाखा, कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र
9	आर्थिक अपराध कक्ष, पंचकूला	राज्य अपराध शाखा, पंचकूला	पंचकूला
10	आर्थिक अपराध कक्ष, रोहतक	राज्य अपराध शाखा, रोहतक	रोहतक, झज्जर

राम निवास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

दिनांकः 30 जून, 2016.

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 14th July, 2016

No. 14/38/2007-3HC.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby creates the following special cells mentioned under column number 2 as Economic Offences Wings to act as the Prime Investigation Units for the offences under the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act 2 of 1934), the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 (Central Act 43 of 1978) and the Haryana Protection Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2013 (Haryana Act 32 of 2014) by designating the units mentioned under column number 3 for the police districts mentioned under column number 4 to deal with the case relating to economic offences under the said Act, namely:—

Sr.No.	Name of Wing	Name of Unit	District
1	2	3	4
1	Economic Offences Wing, Ambala	State Crime Branch, Ambala	Ambala, Yamuna Nagar
2	Economic Offences Wing, Bhiwani	State Crime Branch, Bhiwani	Bhiwani, Mahendergarh
3	Economic Offences Wing, Faridabad	State Crime Branch, Faridabad	Faridabad, Palwal
4	Economic Offences Wing, Gurgaon	State Crime Branch, Gurgaon	Gurgaon, Rewari, Mewat
5	Economic Offences Wing, Hisar	State Crime Branch, Hisar	Hisar, Sirsa, Fatehabad
6	Economic Offences Wing, Jind	State Crime Branch, Jind	Jind, Kaithal
7	Economic Offences Wing, Karnal	State Crime Branch, Madhuban, Karnal	Karnal, Panipat, Sonepat
8	Economic Offences Wing, Kurukshetra	State Crime Branch, Kurukshetra	Kurukshetra
9	Economic Offences Wing, Panchkula	State Crime Branch, Panchkula	Panchkula
10	Economic Offences Wing, Rohtak	State Crime Branch, Rohtak	Rohtak, Jhajjar

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

The 30th June, 2016.

54464—C.S.—H.G.P., Chd.